

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 15 (23) 94 / गोप्र / प्रमुवसं /

दिनांक:-

कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3755 / सी दिनांक 21.8.2013 द्वारा श्री रमाकान्त पारीक पुत्र डालूराम पारीक, कनिष्ठ लिपिक को आदेश क्रमांक एफ 15 (23) 2010 / गोप्र / प्रमुवसं / 2282 / सी दिनांक 7.6.2013 से कनिष्ठ लिपिकों की दिनांक 1.4.2010 की स्थिति अनुसार जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 59-ए पर जोड़ा जाकर इस प्रकार जोड़े गए नाम के विरुद्ध यदि किसी कर्मचारी को कोई आपत्ति हो तो उनसे दिनांक 30.8.2013 तक अभ्यावेदन चाहे गए थे। इस प्रकार जोड़े गए नाम के विरुद्ध किसी भी कर्मचारी का कोई अभ्यावेदन उक्त तिथि तक प्राप्त नहीं होने के परिणामस्वरूप इनका नाम कनिष्ठ लिपिक की आदेश क्रमांक एफ 15 (23) 2010 / गोप्र / प्रमुवसं / 2282 / सी दिनांक 7.6.2013 से कनिष्ठ लिपिकों की दिनांक 1.4.2010 की स्थिति अनुसार जारी अंतिम वरिष्ठता सूची में क्रम संख्या 59-ए पर जोड़े जाने के आदेश प्रचलित किए जाते हैं।

६०


(यू.एम.सहाय)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (होफ)

राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ 15 (23) 94 / गोप्र / प्रमुवसं / 4265 - 4303 / C दिनांक:- 20.9.2013
प्रतिलिपि निम्नांकित को इस कार्यालय के पृष्ठांकन क्रमांक 3756-3796 / सी दिनांक 21.8.2013 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, टी.आर.ई.ई.राज.जयपुर / प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना एवं वन बन्दोबस्त, राज.जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक गण।
3. समस्त मुख्य वन संरक्षक गण।
4. मुख्य वन संरक्षक, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, अरावली भवन, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त पत्र को विभाग की बेबसाईट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
5. श्री रमाकान्त पारीक, कनिष्ठ लिपिक मुख्य मंत्री कार्यालय जयपुर।
6. श्री महेन्द्र कुमार शर्मा, वरिष्ठ लिपिक कार्यालय हाजा।
7. श्री पुखराज खण्डेलवाल, कनिष्ठ लिपिक द्वारा उप वन संरक्षक, आबूरोड।
8. कार्मिक / जांच / कार्यालय हाजा।
9. रक्षी पत्रावली।



(ए.बी.रामटेके)

मुख्य वन संरक्षक एवं प्रावैधिक सहायक

प्रधान मुख्य वन संरक्षक

राजस्थान, जयपुर

AP 2
RSCIT
25/9/13